संख्या- 01/2026/1228/48-2026-ए048-001-1497486- आजमगढ़-पुनरीक्षित किश्त

फाइल नं0- 48-1099/192/2021

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,उ0प्र0
लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषय: जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय आजमगढ़ के अर्द्धनिर्मित अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित किश्त/अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8016/स0प0-प्लान/ब0मांग/2025-26/3174, दिनांक 02 दिसम्बर,2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा जनपद आजमगढ़ में अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु पुनरीक्षित किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेख करना है कि जनपद आजमगढ अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण (चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको) कार्य हेतु आगणित/मूल्यांकित धनराशि रूपये 157.64 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 91.38 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 23.03.2022 द्वारा जारी की गयी है। जनपद आजमगढ़ के उक्त निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 66.26 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 25.02.2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त जी0एस0टी0 के रूप में रू0 3.007 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 07.02.2024 निर्गत की गयी।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र में किये गए अनुरोध के क्रम में शासनादेशों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-87 के पूँजी लेखा के अन्तर्गत मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख में से जनपद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आजमगढ़ में अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको से प्राप्त पुनरीक्षित आगणन की लागत को निम्नलिखित तालिका के कालम-5 में अंकित लागत तक मूल्यांकित पुनरीक्षित करते हुए कॉलम-7 में अंकित विवरण के अनुसार पुनरीक्षित किश्त/अंतिम क़िस्त के रूप में कुल रू0 30.78 लाख (रुपये तीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना/कार्य	चयनित कार्यदायी संस्था	मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकित /पुनरीक्षित लागत	अबतक कुल निर्गत धनराशि	पुनरीक्षित/ अंन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1-	आजमगढ़	अधिकारी एवं कर्मचारी आवास के निर्माण	यू0पी0 सिडकों	रू0 191.427 लाख	रू0 160.647 लाख	रू0 30.78 लाख

<u>शर्ते एवं प्रतिबंध:</u>

1- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक-27 मार्च 2025 में दिये गये निर्देशों व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2- मूल आगणन में स्वीकृत कार्य मदें यथावत रहेंगी। कार्य मदों में किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता समझी जायेगी।

3- उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

4- परियोजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

5- परियोजना की स्वीकृति सम्बन्ध मूल शासनादेश संख्या-87/48-2021-1/13(33)/2020 दिनांक 23.03.2022 एवं शासनादेश संख्या-04/2023/85/48-2023/001-48-1099/192-2021 दिनांक 25.02.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- परियोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/ स्थापना के समय के सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 तथा सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का होगा।

7- परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी/पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- प्रायोजना के निर्माण के समय सुसंगत वित्तीय नियमों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- निर्माण इकाई को अनुमोदित आगणन के सापेक्ष टेण्डर कास्ट में प्राप्त धनराशि की सीमा तक ही धनराशि अवमुक्त की जाय।

10- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा । सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

11- वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

12- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी तथा निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 का होगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,78,000 (रुपये तीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 087 लेखा शीर्षक- 4235-60-800-0900-** जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के भवन एवं विश्राम गृह का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, आजमगढ़, उ0प्र0, द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 सिडको, टी0 सी0- 46 वी- विभूति खंड लखनऊ, उ0प्र0 पिन -226010।

6- संबंधित जनपद के अधिशाषी अभियन्ता,यू0पी0 सिडको, द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 लखनऊ।

8- जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, आजमगढ़, उ0प्र0, द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द्र अग्रवाल
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।